सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

संख्या-39/2015/706/78-2-2015-50आई.टी./2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार,
अनुभाग अधिकारी/जन सूचना अधिकारी
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
एन0आई0सी0, योजना भवन,
लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 21 मई, 2015

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-आरटीआई27/78-2-2015-50आई.टी./2015 दिनांक 29 अप्रैल, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्रीमती शाइस्ता बेगम पत्नी मुन्ने, पक्का बाग सराए फकीर, बदायू उ0प्र0 के पत्र दिनांक 25.03.2015 को जन सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया गया था, जिस पर आवेदिका को ससमय सूचना उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से शासन को भी अवगत कराने का अनुरोध किया गया था, जिसकी आख्या अभी तक अप्राप्त है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवेदिका द्वारा मांगी गयी सूचना अनुमन्य शुल्क प्राप्त कर ससमय उपलब्ध कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या से तीन दिन में शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अनुभाग अधिकारी/जन सूचना अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in